In the court of ACJM-I, Bagaha, West Champaran
Ramnagar PS Case No-49/2021

06.07.2021 काराधीन अभियुक्त ओमप्रकाश यादव की ओर से अधिवक्ता नियुक्ति पत्र साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी एक प्रति विद्वान अनु0लो0अभि0पदा0 को दी गई है। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दाखिल जमानत आवेदन परिचालित किया गया है।

जमानत आवेदन का परिचालन करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं की है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध भूमि विवाद के कारण रामनगर थाना काण्ड संख्या 68/2004, रामनगर थाना काण्ड संख्या 32/2006, रामनगर थाना काण्ड संख्या 168/2012, एवं रामनगर थाना काण्ड संख्या 239/2020 लंबित है। उनका कथन है कि यह वाद भूमि विवाद से उदभूद है। आवेदिका दिनांक 04.07.2021 से इस वाद के अन्तर्गत काराधीन हैं। अतः आवेदक को जमानत दी जाए।

विद्वान अनु0लो0अभि0पदा0 ने जमानत का विरोध किया।

सुना। वाद का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420,468,323,341,379,34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ मारपीट करने एवं जबरन निशान बनवाने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त पर जालसाजी करने का आरोप है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को जमानत पर छोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव, जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अपरमु0न्या0दण्डा0-I